International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Innovation

E-ISSN: 3107-6157 editor@ijamri.com

Volume 2, Issue 6, November-December 2026

# सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में मृत्यु पंजीकरण की भूमिका: पेंशन, बीमा और आश्रित लाभों का अध्ययन

**Jheel Kumar Jaiswal[1], Dr. Rakesh Kumar Gupta[2], Krishna Kumar Jaiswal[3]**

[1]Research Scholar, Department of Economics, C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh

[2]Associate Professor, Social Science (Economics), C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh

[3]Assistant Professor and HOD Of Commerce, Department of Commerce, Sardar Vallabhbhai Patel Government College, Kotri, Mungeli, Chhattisgarh

**सारांश**

मृत्यु पंजीकरण एक प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को पेंशन, बीमा क्षतिपूर्ति दावों तथा आश्रितों के लाभों से संबंधित अधिकार प्राप्त करने में सहायता करती है। वर्तमान अध्ययन में भारत में उपलब्ध लाभों तक पहुँच बढ़ाने में मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के योगदान पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न प्रशासनिक और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं की पहचान की गई है। यह शोध व्याख्यावादी प्रतिमान और आगमनात्मक दृष्टिकोण के मार्गदर्शन में गुणात्मक द्वितीयक आँकड़ों, आधिकारिक दस्तावेजों, कानूनों, संस्थागत दिशानिर्देशों तथा समीक्षित शोध-पत्रों के आधार पर किया गया। विषयगत विश्लेषण में पेंशन, बीमा दावों, आश्रितों के लाभों तथा कुछ प्रक्रियागत कठिनाइयों से संबंधित चार विषयों की पहचान की गई। निष्कर्षों से पता चला कि मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण है, लेकिन पंजीकरण प्रक्रिया में देरी, जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया और लाभार्थियों में जागरूकता की कमी के कारण सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। शोध में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए सरल पंजीकरण प्रक्रिया, संस्थानों के बीच समन्वय और डिजिटल पहुँच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लाभार्थियों के अनुभवों और प्रशासनिक दक्षता का आकलन करने हेतु भविष्य में अनुभवजन्य अध्ययन करने की अनुशंसा की गई है।

**मुख्य शब्द:** पेंशन तक पहुँच, सामाजिक सुरक्षा लाभ, मृत्यु पंजीकरण, प्रशासनिक बाधाएँ, आश्रित लाभ और बीमा दावे।

## परिचय

भारत में मृत्यु पंजीकरण नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की मृत्यु का औपचारिक अभिलेख प्रदान करता है। 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' के अंतर्गत मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है और इसके लिए अधिकतम 21 दिनों की समय-सीमा निर्धारित है [1]। वर्ष 2023 के संशोधन के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणन के उपयोग से मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को और सुदृढ़ किया गया। सार्वजनिक प्रशासन के लिए आँकड़े तैयार करने के अतिरिक्त, मृत्यु पंजीकरण विरासत और कानूनी दावों के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण भी उपलब्ध कराता है [2]। मृत्यु प्रमाण-पत्र किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद दावों के सत्यापन हेतु दस्तावेज के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच को सुगम बनाता है। भारत में मृत्यु प्रमाण-पत्र का उपयोग पारिवारिक पेंशन, बीमा भुगतान तथा नियमों के अनुसार आश्रितों को मिलने वाले अन्य लाभों के दावे के लिए किया जा सकता है। इस उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्य की मृत्यु के बाद पेंशन और बीमा दावों के लिए योजनाएँ संचालित करता है। हालाँकि, पंजीकरण में देरी और अधूरे दस्तावेजों के कारण सत्यापन में बाधा आ सकती है तथा जीवित बचे परिवारों को वित्तीय सहायता मिलने में विलंब हो सकता है [3]।

International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Innovation
E-ISSN: 3107-6157 editor@ijamri.com
Volume 2, Issue 6, November-December 2026

## शोध का उद्देश्य एवं लक्ष्य

### शोध का मुख्य उद्देश्य

भारत में सामाजिक सुरक्षा लाभों, विशेषकर पेंशन लाभ, बीमा दावों और आश्रित लाभों तक पहुँच बनाने में मृत्यु पंजीकरण के महत्व तथा इस प्रक्रिया में लाभार्थियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों की जाँच करना।

शोध के विशिष्ट उद्देश्य

1. भारत में पेंशन, बीमा और आश्रित लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु पंजीकरण के महत्व का अध्ययन करना।
2. मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कानूनी एवं संस्थागत ढाँचों तथा मुद्दों को समझना और सामाजिक सुरक्षा लाभों की पात्रता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. लाभार्थियों के सामने आने वाली प्रमुख दस्तावेजी एवं प्रक्रियागत समस्याओं का आकलन करना तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच बेहतर बनाने के उपायों पर विचार करना।

### शोध प्रश्न

1. भारत में मृत्यु पंजीकरण किस प्रकार लोगों को पेंशन लाभ, बीमा दावों और आश्रित लाभों तक पहुँचने में सहायता करता है?
2. मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कानूनी, संस्थागत और प्रशासनिक आवश्यकताएँ क्या हैं तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है?
3. लाभार्थियों को दस्तावेजों और प्रक्रियाओं से संबंधित किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?

## साहित्य समीक्षा

मृत्यु पंजीकरण और नागरिक पंजीकरण प्रणालियाँ

मृत्यु पंजीकरण कानूनी पहचान संबंधी दस्तावेजों तथा निगरानी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आधार प्रदान करता है। भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS), 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' के अंतर्गत मृत्यु के वैधानिक अभिलेखों का रखरखाव करती है। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय (2026) के अनुसार, सार्वजनिक नियोजन और नीतियों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक मृत्यु-संबंधी आँकड़े CRS के माध्यम से तैयार और प्रस्तुत किए जाने चाहिए [4]। हालाँकि, वर्ष 2019-2021 के दौरान हुई मौतों के देशव्यापी अध्ययन में पाया गया कि कुल मौतों में से केवल 70.8% का ही पंजीकरण हुआ था [5]।

तालिका 1: भारत में मृत्यु पंजीकरण के आधिकारिक एवं सर्वेक्षण-आधारित अनुमान

| संकेतक | मान |
|---|---|
| Level of death registration (official CRS) | 99.4% |
| Deaths registered, 2024 | 89,38,301 |
| Deaths registered, 2023 | 86,59,679 |
| States/UTs with 100% death registration, 2024 | 21 |
| Completeness of death registration, 2000 | 58% |
| Completeness of death registration, 2018 | 81% |
| Household-reported deaths that were registered | 70.8% |
| Deaths registered (spatial analysis, 79,449 deaths) | 71% |

(Sources: Census India.gov.in [4], Basu & Adair 2021 [10], Saikia et al. 2022 [5] and Singh et al. 2025 [11])

International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Innovation
E-ISSN: 3107-6157 editor@ijamri.com
Volume 2, Issue 6, November-December 2026

### पेंशन और बीमा दावों में मृत्यु पंजीकरण

मृत्यु पंजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद पेंशन और बीमा दावों के निपटान हेतु दस्तावेजी प्रमाण तैयार किया जाता है। भारत का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) उत्तरजीवी पेंशन और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (EDLI) लाभों का निपटान करता है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, EDLI के अंतर्गत व्यक्तियों को ₹2.5 लाख से ₹7 लाख तक के लाभ प्राप्त होते हैं [6]। इसके अतिरिक्त, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वर्ष 2024 में बीमा परिचालन और दावा प्रक्रियाओं के विनियमन के माध्यम से पॉलिसीधारकों की सुरक्षा को मजबूत किया [7]।

### मृत्यु पंजीकरण और आश्रित लाभ

मृत्यु पंजीकरण, मृतक के आश्रितों द्वारा पारिवारिक पेंशन और रोजगार-आधारित उत्तरजीवी लाभों के दावों को समर्थन देने में उपयोगी है [8]। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सदस्य की मृत्यु होने पर जीवित पति/पत्नी या सदस्य का बच्चा, निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन, पेंशन लाभ का दावा कर सकता है। EPFO की पेंशन नियमावली के अनुसार, बच्चों की पेंशन सामान्यतः 25 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों के लिए होती है और एक समय में सामान्यतः अधिकतम दो बच्चों तक सीमित होती है [9]। इसके अतिरिक्त, EDLI पात्र नामित व्यक्तियों और उत्तरजीवियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ये व्यवस्थाएँ दर्शाती हैं कि मृत्यु का दस्तावेजीकरण संस्थागत सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच को सुगम बनाता है।

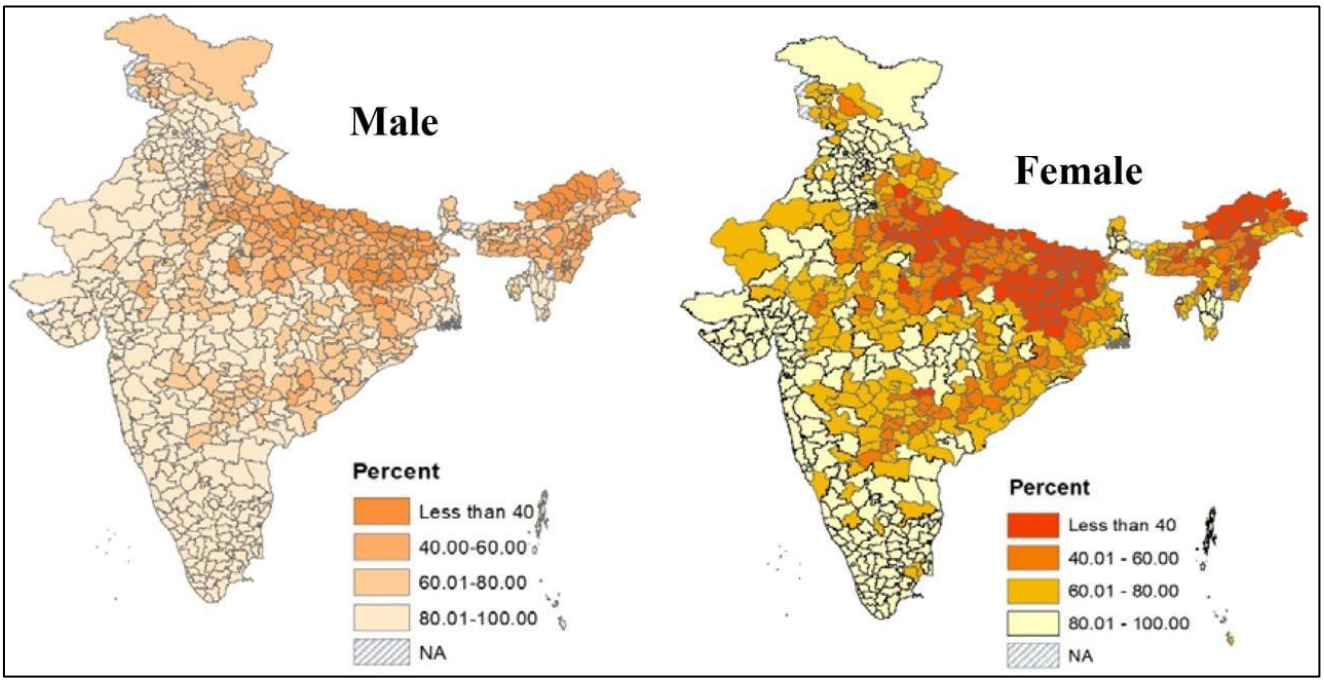


चित्र 1: भारत के जिलों में पुरुषों और महिलाओं के मृत्यु पंजीकरण का स्तर, 2019-2021 [8]

### प्रशासनिक और सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ

प्रशासनिक बाधाओं, असमानताओं और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं का मृत्यु पंजीकरण के कवरेज पर प्रभाव पड़ता है [10]। भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 2019-2021 से पता चलता है कि ग्रामीण परिवारों, निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले परिवारों तथा महिलाओं की मृत्यु के पंजीकरण तक पहुँच अपेक्षाकृत कम थी। पुरुषों की मृत्यु की तुलना में महिलाओं की मृत्यु के पंजीकरण की संभावना 39% कम पाई गई (aOR = 0.61) [5]। मृत्यु पंजीकरण में स्थानिक असमानताओं पर किए गए एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि 152 जिलों में मृत्यु पंजीकरण के स्तर में असमानताएँ थीं, विशेषकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में [11]। ये असमानताएँ पेंशन, बीमा निपटान और उत्तरजीवी लाभों के लिए आवेदन करने वाले आश्रितों के सामने अतिरिक्त दस्तावेजी बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं।

International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Innovation
E-ISSN: 3107-6157 editor@ijamri.com
Volume 2, Issue 6, November-December 2026

तालिका 2: मृत्यु पंजीकरण में जिला-स्तरीय असमानताएँ, 2019-21

| Indicator | Female deaths | Male deaths |
|---|---|---|
| Districts with registration below 40% (of 707) | 122 | 53 |
| Districts with registration above 80% (of 707) | 251 | 354 |
| **Spatial indicator** | **Value** | |
| Univariate Moran's I (district clustering) | 0.69 ($p < 0.001$), strong spatial clustering | |
| Districts in low-registration "cold spots" | 152, mainly in eastern states such as Uttar Pradesh, Jharkhand and Bihar | |

(स्रोत: Saikia et al., 2022 [5] और Singh et al., 2025 [11])

शोध-अंतराल और वैचारिक ढाँचा

मौजूदा साहित्य मृत्यु पंजीकरण को नागरिक पंजीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक मानता है, जो कानूनी दस्तावेजीकरण, जनसांख्यिकीय निगरानी और सार्वजनिक प्रशासन में योगदान देता है। उदाहरण के लिए, Saikia et al. (2022) और Singh et al. (2025) द्वारा किए गए मौजूदा शोध मुख्य रूप से भारत में मृत्यु पंजीकरण के स्तर, स्थानिक असमानताओं और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं पर केंद्रित हैं [5,11]। फिर भी, मृत्यु पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा लाभों के बीच संबंधों के अध्ययन पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। दूसरी ओर, मौजूदा शोध मृत्यु पंजीकरण और लाभ प्राप्ति के बीच की प्रक्रियाओं, दस्तावेजी आवश्यकताओं तथा संस्थागत बाधाओं का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करता। गरीब परिवारों, ग्रामीण समुदायों और आश्रितों के अनुभवों पर भविष्य में शोध किए जाने की आवश्यकता है। इस शोध-अंतराल को दूर करने के लिए यह अध्ययन द्वितीयक गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, ताकि भारत में सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच बनाने में मृत्यु पंजीकरण के योगदान का विश्लेषण किया जा सके तथा देश में लाभों के समान वितरण और प्रशासन को बेहतर बनाने के अवसरों एवं चुनौतियों की पहचान की जा सके।

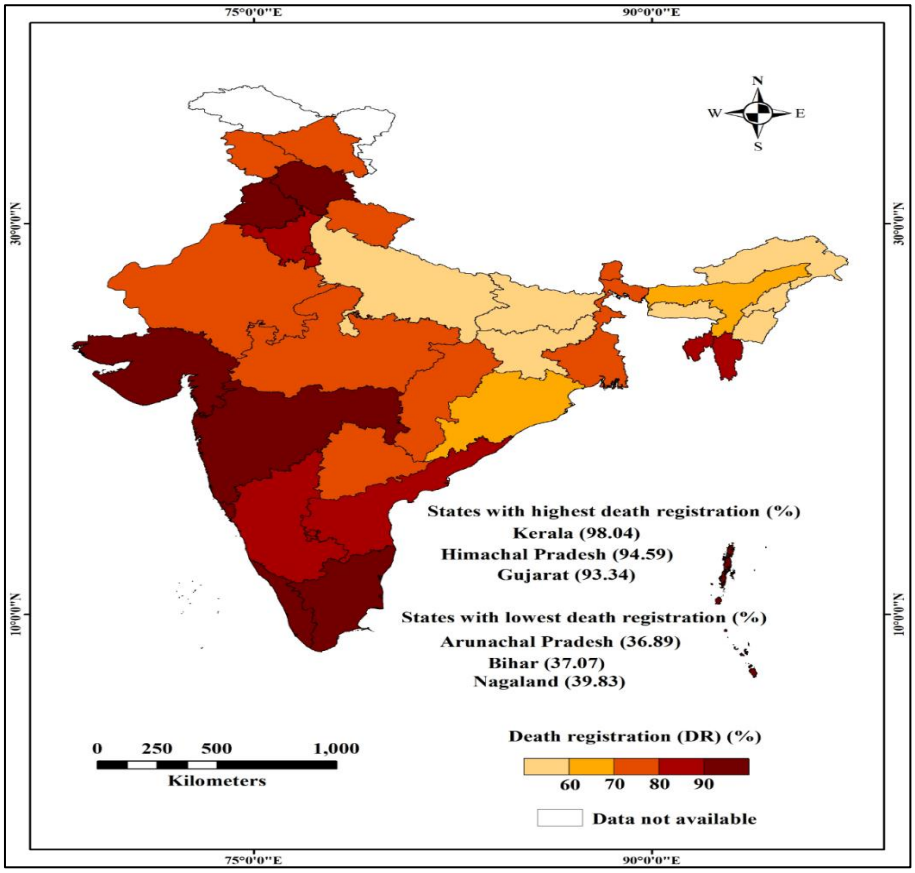


चित्र 2: भारत के राज्यों और जिलों में मृत्यु पंजीकरण की स्थानिक असमानताएँ, 2019-21 [11]

International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Innovation
E-ISSN: 3107-6157 editor@ijamri.com
Volume 2, Issue 6, November-December 2026

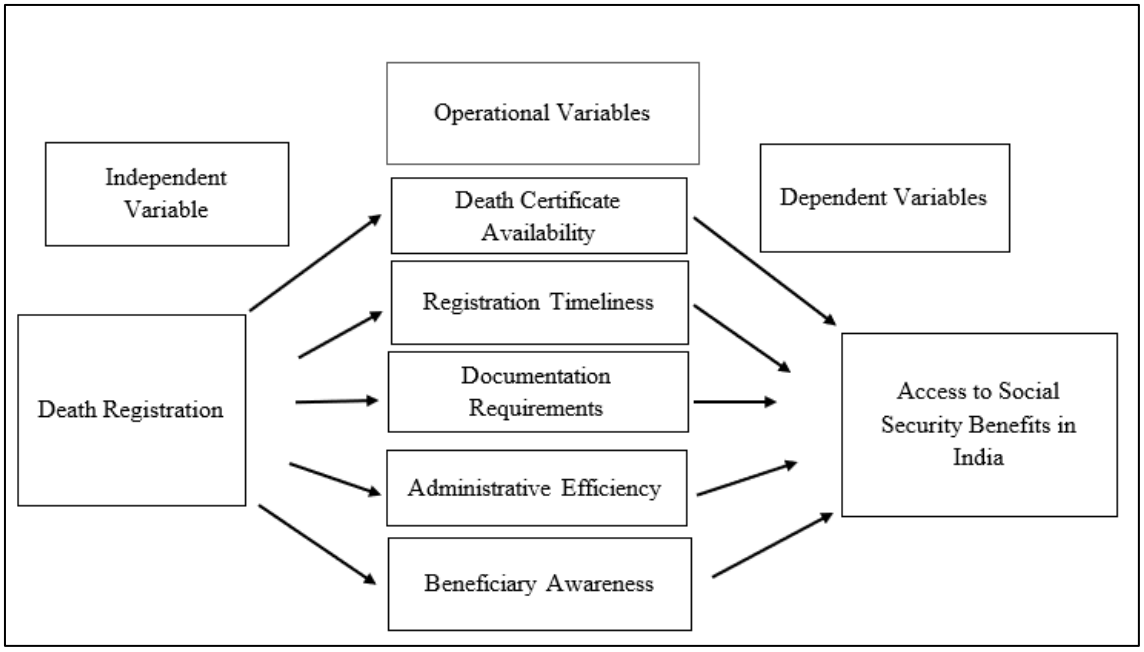


चित्र 3: वैचारिक ढाँचा

## शोध पद्धति

इस अध्ययन में भारत में पेंशन, बीमा दावों और आश्रित लाभों जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच को सुगम बनाने पर मृत्यु पंजीकरण के प्रभाव की जाँच के लिए गुणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है। शोध में व्याख्यावादी दर्शन का उपयोग किया गया, जिसमें संस्थागत व्यवहारों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और दस्तावेजों की उनके संदर्भ में व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया गया। मौजूदा साहित्य के माध्यम से प्रतिरूपों की पहचान और अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए आगमनात्मक शोध दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें किसी परिकल्पना का परीक्षण नहीं किया गया। इसी प्रकार, लाभों तक पहुँच की सुगमता पर मृत्यु पंजीकरण की आवश्यकताओं के प्रभाव तथा दावा निपटान प्रक्रिया पर प्रशासन के प्रभाव की जाँच के लिए व्याख्यात्मक शोध अभिकल्प अपनाया गया। द्वितीयक आँकड़े समीक्षित शोध-पत्रों, आधिकारिक सरकारी प्रकाशनों, नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्टों, वैधानिक कानूनों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दिशानिर्देशों तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के दस्तावेजों से एकत्र किए गए। वर्ष 2020-2026 की प्रासंगिक सामग्री को प्राथमिकता दी गई, हालाँकि कुछ आधारभूत कानूनों और नीतिगत दस्तावेजों को भी शामिल किया जा सकता है। विषयगत विश्लेषण परिचितीकरण, प्रारंभिक कोडिंग, विषयों की पहचान तथा आँकड़ों की समीक्षा और व्याख्या के माध्यम से किया गया। इस अध्ययन के विश्लेषण को चार विषयों ने दिशा दी: 'पेंशन तक पहुँच', 'बीमा दावा प्रक्रिया', 'आश्रित लाभ' और 'लाभों तक समयबद्ध पहुँच'। इस प्रकार, सामाजिक सुरक्षा अधिकारों तक समान पहुँच को प्रभावित करने वाली प्रक्रियागत और दस्तावेजी चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए बीमा, पेंशन और आश्रित लाभों से संबंधित निष्कर्षों का समेकन किया गया।

## निष्कर्ष एवं विश्लेषण

विषय 1: पेंशन तक पहुँच में मृत्यु पंजीकरण की भूमिका

भारत में उत्तरजीवी पेंशन के अधिकारों तक पहुँचने के लिए मृत्यु पंजीकरण एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में सामने आता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अनुसार, 'समग्र दावा प्रपत्र' (Composite Claim Form) के माध्यम से भविष्य निधि (फॉर्म 20), पेंशन अधिकार (फॉर्म 10D) और बीमा लाभ (फॉर्म 5IF) के निपटान को एकीकृत किया जाता है [12]। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में अंशदान करने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र आश्रितों के पेंशन अधिकारों का प्रावधान किया गया है। मृत्यु प्रमाणन मृतक सदस्य की पहचान और मृत्यु की तिथि के प्रमाणीकरण में सहायता करता है। इसलिए, यदि पंजीकरण दस्तावेज सही ढंग से तैयार नहीं हुआ है, तो दावा प्रस्तुत करने और उसका प्रमाणीकरण करने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इससे पेंशन भुगतान की प्रक्रिया तक सरल पहुँच का महत्व स्पष्ट होता है।

International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Innovation
E-ISSN: 3107-6157 editor@ijamri.com
Volume 2, Issue 6, November-December 2026

विषय 2: बीमा दावा प्रक्रिया में मृत्यु पंजीकरण की भूमिका

जीवन बीमा दावों के प्रमाणीकरण और बीमित घटना के घटित होने की पुष्टि के लिए मृत्यु पंजीकरण दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण है। भारतीय IRDAI ने वर्ष 2024 में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा तथा दावा प्रशासन और बीमा कवरेज से संबंधित अन्य विनियमों पर मास्टर परिपत्र जारी किया [13]। EPFO ने फॉर्म 5IF के माध्यम से कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (EDLI/ELIPS) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के लिए रोजगार-संबंधी मृत्यु लाभों का प्रावधान किया है। ये संस्थागत प्रक्रियाएँ मृत्यु, नामांकन और दस्तावेजों से संबंधित सही जानकारी के महत्व को दर्शाती हैं। हालाँकि, केवल मृत्यु प्रमाण-पत्र से बीमा अनुबंध के अंतर्गत कवरेज की पात्रता निर्धारित नहीं होती; यह पॉलिसी की शर्तों और उपलब्ध योजना की आवश्यकताओं पर भी निर्भर करती है।

विषय 3: आश्रित लाभ प्राप्त करने में मृत्यु पंजीकरण की भूमिका

मृत्यु पंजीकरण जीवित पति/पत्नी, बच्चों और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अन्य आश्रितों द्वारा किए गए दावों के प्रशासनिक सत्यापन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र आश्रित उत्तरजीवी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं [14]। EPFO के नियमों के अनुसार, पति/पत्नी, 25 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ शर्तों के अधीन माता-पिता पात्र पेंशन दावेदार हो सकते हैं। मृत्यु प्रमाण-पत्र मृत्यु का प्रमाण है, जबकि संबंध और पात्रता से जुड़े अभिलेख लाभार्थियों के इन लाभों पर अधिकार को प्रमाणित करते हैं। अतः यह विश्लेषण दर्शाता है कि सत्यापन प्रक्रियाओं के बीच समन्वय आश्रित लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं से परिचित नहीं हैं।

तालिका 3: सदस्य की मृत्यु पर देय EPFO लाभ, जिनके लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक है

| Scheme | Claim form | Financing | Benefit on death | Beneficiary |
|---|---|---|---|---|
| Employees' Provident Fund (EPF) | Form 20 | Employee and employer contributions (12% of wages in total from the employer) | Accumulated PF balance with interest | Nominee or legal heirs |
| Employees' Pension Scheme (EPS), 1995 | Form 10D | Employer 8.33% of wages; Central Government 1.16%; wage ceiling ₹15,000 per month | Widow/widower, children's and orphan pension; dependent parents if no nominee | Spouse, children under 25 (two at a time), orphans, nominee or parents |
| Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) | Form 5IF | Employer 0.5% of wages; no employee contribution | Minimum ₹2.5 lakh; maximum ₹7 lakh. Payable only on death in service | Nominee or legal heirs entitled to EPF dues |

(स्रोत: EPFO (2026) [3]; EPFO (2026a) [6]; कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (2017) [12]; पेंशन मैनुअल [9])

विषय 4: लाभों तक समयबद्ध पहुँच को प्रभावित करने वाली बाधाएँ

दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलता है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति में असमानता, अधूरा मृत्यु पंजीकरण और नौकरशाही की जटिलता लाभों तक पहुँच को प्रभावित करने वाले संभावित कारक हैं। Saikia et al. (2022) ने भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-2021) से प्राप्त 84,390 मौतों के विश्लेषण में पाया कि इनमें से 70.8% मौतें पंजीकृत थीं [5]। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण दर (65.9%) शहरी क्षेत्रों (83.3%) की तुलना में काफी कम थी। इसमें लैंगिक अंतर भी देखा गया: महिलाओं की मृत्यु का पंजीकरण (65.7%) पुरुषों की मृत्यु के पंजीकरण (74.6%) की तुलना में कम था। फिर भी, उपलब्ध साक्ष्य वंचित परिवारों में पेंशन या बीमा भुगतान में हुई देरी को स्थापित नहीं कर सकते; इसके लिए लाभार्थियों पर अतिरिक्त शोध आवश्यक है।

International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Innovation
E-ISSN: 3107-6157 editor@ijamri.com
Volume 2, Issue 6, November-December 2026

तालिका 4: भारत में सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के अनुसार मृत्यु पंजीकरण, 2019-21

| Characteristic | Registered / total deaths | Registered (%) | Adjusted OR (95% CI) |
|---|---|---|---|
| **Sex of deceased** | | | |
| Male | 36,039 / 48,323 | 74.6 | 1.00 (ref.) |
| Female | 23,697 / 36,063 | 65.7 | 0.61 (0.59-0.64) |
| **Place of residence** | | | |
| Urban | 19,911 / 23,908 | 83.3 | 1.00 (ref.) |
| Rural | 39,827 / 60,482 | 65.9 | 0.79 (0.75-0.84) |
| **Household wealth quintile** | | | |
| Poorest | 9,639 / 18,630 | 51.7 | 1.00 (ref.) |
| Poorer | 11,746 / 18,242 | 64.4 | 1.25 (1.17-1.32) |
| Middle | 12,850 / 17,200 | 74.7 | 1.52 (1.44-1.61) |
| Richer | 12,996 / 15,952 | 81.5 | 1.84 (1.74-1.95) |
| Richest | 12,506 / 14,367 | 87.1 | 2.39 (2.21-2.58) |
| **Education of household members** | | | |
| Illiterate | 16,018 / 25,572 | 62.6 | 1.00 (ref.) |
| Primary | 10,860 / 15,391 | 70.6 | 1.08 (1.02-1.15) |
| Secondary | 26,029 / 35,027 | 74.3 | 1.26 (1.21-1.31) |
| Higher | 6,582 / 8,055 | 81.7 | 1.54 (1.42-1.66) |
| **Caste of household head** | | | |
| Scheduled Caste | 13,140 / 19,355 | 67.9 | 1.00 (ref.) |

(स्रोत: Saikia et al., 2022 [5])

तालिका 5: भारत के क्षेत्रों के अनुसार मृत्यु पंजीकरण, 2019-21

| Region | पंजीकृत / कुल मौतें | पंजीकरण (%) | समायोजित OR (95% CI) |
|---|---|---|---|
| West | 9,999 / 10,981 | 91.1 | 2.94 (1.13-7.69) |
| South | 15,928 / 18,298 | 87.1 | 1.46 (0.68-3.14) |
| North | 8,014 / 9,616 | 83.3 | 1.00 (ref.) |
| North-east | 1,580 / 2,467 | 64.1 | 0.35 (0.17-0.73) |
| East | 11,649 / 20,618 | 56.5 | 0.28 (0.12-0.67) |
| Central | 12,568 / 22,411 | 56.1 | 0.39 (0.15-1.05) |

(स्रोत: Saikia et al., 2022 [5])

International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Innovation
E-ISSN: 3107-6157 editor@ijamri.com
Volume 2, Issue 6, November-December 2026

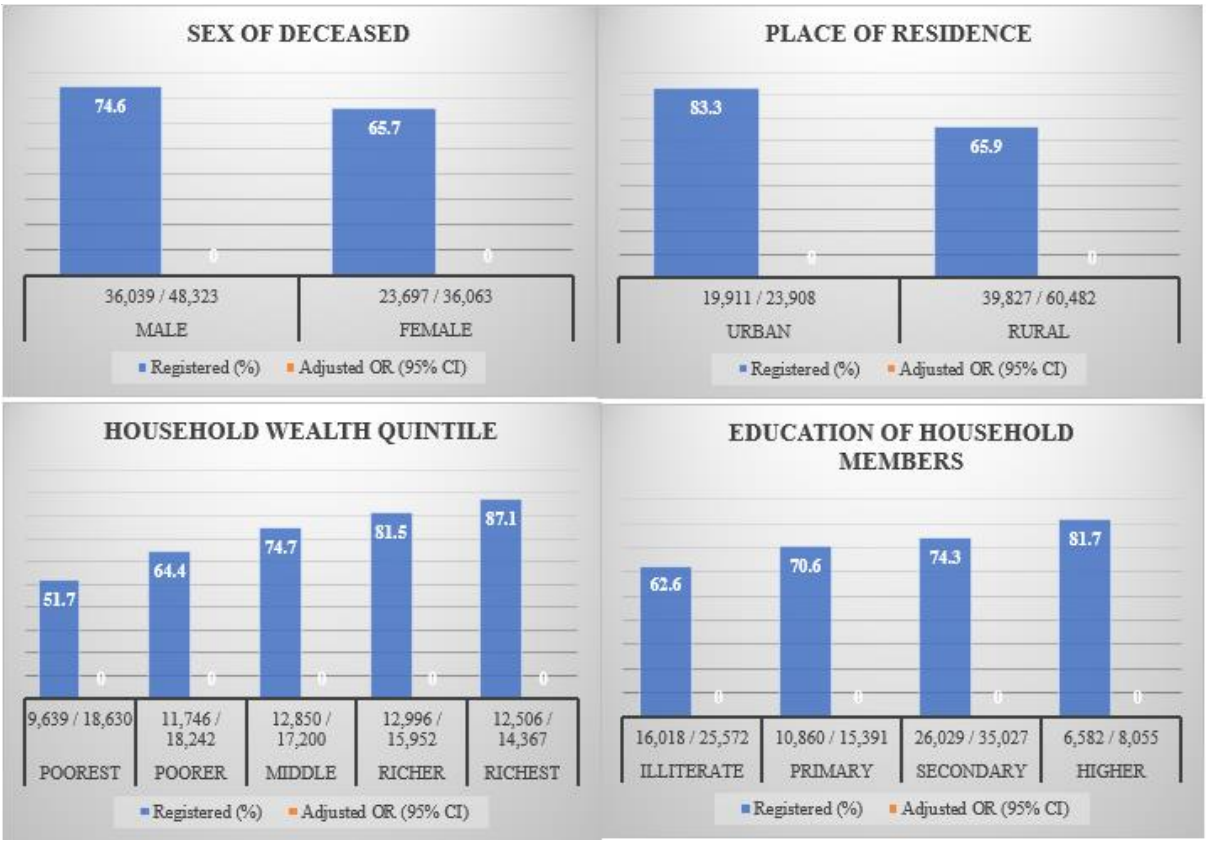


चित्र 4: भारत में सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के अनुसार मृत्यु पंजीकरण, 2019-21

## चर्चा

परिणाम भारत में पेंशन, बीमा और आश्रित लाभों जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच प्राप्त करने में मृत्यु पंजीकरण के महत्व को स्पष्ट करते हैं। Saikia et al. (2022) के अवलोकनों के अनुरूप, परिणाम दर्शाते हैं कि पंजीकरण कवरेज में अंतर कमजोर समुदायों के लिए दस्तावेजी चुनौती उत्पन्न कर सकता है [5]। मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं, जिससे दावे का सत्यापन और संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यक्ति की पात्रता का निर्धारण सुगम होता है। हालाँकि, केवल पंजीकरण से लाभों तक पहुँच सुनिश्चित नहीं होती, क्योंकि संस्थागत सत्यापन, लाभार्थियों की जागरूकता और संस्थागत प्रक्रियाएँ दावा निपटान को प्रभावित करती हैं [3]।

तालिका 6: मृत्यु पंजीकरण और लाभ दावों से जुड़ी वैधानिक एवं विनियामक समय-सीमाएँ

| Stage | Timeline | Authority / Source |
|---|---|---|
| Reporting and registration of a death | Within 21 days of occurrence | Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended 2023) [1, 2] |
| Settlement of an EDLI claim | Within 20 days | EPFO (2026a) [6] |
| Settlement of a life insurance death claim without investigation | Within 15 days of claim intimation | IRDAI Master Circular, 2024 [13] |

परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता और पंजीकरण में देरी ग्रामीण समुदायों तथा गरीब आश्रितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। डिजिटल पंजीकरण प्रणाली को बेहतर बनाना, दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल करना तथा नागरिक पंजीकरण कार्यालयों और सामाजिक सुरक्षा संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना पहुँच में सुधार ला सकता है [15]। इस संदर्भ में जागरूकता अभियान और सुलभ पंजीकरण प्रक्रियाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। समग्र रूप से, लक्षित जागरूकता कार्यक्रम और सुलभ पंजीकरण सेवाएँ

International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Innovation
E-ISSN: 3107-6157 editor@ijamri.com
Volume 2, Issue 6, November-December 2026

प्रक्रियागत असमानताओं को कम करने तथा पूरे भारत में सामाजिक संरक्षण सेवाओं के प्रभावी वितरण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं।

## निष्कर्ष

इस शोध का निष्कर्ष है कि भारत में पेंशन, बीमा दावों और आश्रितों के अधिकारों जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु पंजीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधिकारिक मृत्यु प्रमाणन इस प्रक्रिया का प्रमुख दस्तावेज है। हालाँकि, सामाजिक-आर्थिक कारक, मृत्यु पंजीकरण में देरी, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और लाभार्थियों में सीमित जागरूकता इन सेवाओं की प्राप्ति को बाधित कर सकते हैं। परिणाम नागरिक पंजीकरण प्रणालियों में सुधार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को औपचारिक एवं सुव्यवस्थित बनाने और संस्थागत समन्वय की तत्काल आवश्यकता दर्शाते हैं। डिजिटल माध्यमों से सूचना और जन-जागरूकता उपलब्ध कराने से सामाजिक समानता को बढ़ावा मिल सकता है और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच में असमानता कम हो सकती है।

सीमाएँ एवं भविष्य की संभावनाएँ

यह शोध इस कारण सीमित है कि इसमें द्वितीयक गुणात्मक जानकारी पर निर्भर किया गया और लाभार्थियों के अनुभवों अथवा लाभों के वास्तविक निपटान में हुई देरी का सत्यापन संभव नहीं था। संस्थानों की रिपोर्टिंग में भिन्नता तथा क्षेत्रीय स्तर पर आँकड़ों की उपलब्धता भी शोध के निष्कर्षों के सामान्यीकरण को प्रभावित कर सकती है। भविष्य के अध्ययनों में व्यावहारिक समस्याओं की पहचान के लिए लाभार्थियों, बीमा एजेंसियों और पेंशन एजेंसियों के प्राथमिक साक्षात्कार शामिल किए जाने चाहिए। भारत के राज्यों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण तथा दावा निपटान समय, पंजीकरण में देरी और लाभों तक पहुँच का मात्रात्मक विश्लेषण सामाजिक सुरक्षा प्रशासन और नीति में दावा निपटान की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए बेहतर अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान कर सकता है।

## संदर्भ सूची

1. Birth and Death Registration (2026). Civil Registration System (CRS). [online] Available at: https://dc.crsorgi.gov.in/.
2. Censusindia.gov.in. (2025). *CIVIL REGISTRATION SYSTEM-THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) ACT, 2023 - India*. [online] Available at: https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/45543
3. EPFO (2026). Employee Pension Scheme (EPS). [online] Available at: https://www.epfo.gov.in/pension-scheme-eps/.
4. Census India.gov.in. (2026). REPORT ON VITAL STATISTICS OF INDIA BASED ON THE CIVIL REGISTRATION SYSTEM-2024 - India. [online] Available at: https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/47155
5. Saikia, N., Kumar, K. and Das, B., 2022. Death registration coverage 2019-2021, India. *Bulletin of the World Health Organization*, *101*(2), p.102. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9874366/pdf/BLT.22.288889.pdf
6. EPFO (2026a). Insurance Scheme (EDLI). [online] Available at: https://www.epfo.gov.in/insurance-scheme-edli/.
7. Chopra, R. (2024). IRDAI Regulations, 2024- India. [online] Legal 500. Available at: https://www.legal500.com/intelligence/india/insurance/irdai-regulations-2024-india
8. Saikia, N., Kumar, K. and Das, B., 2022. Death Registration coverage in India: Results from nationally representative survey. medRxiv, pp.2022-08. https://doi.org/10.1101/2022.08.25.22279168
9. Pension Manual Final (2025). Pension Manual. [online] Available at: https://pmvbry.epfindia.gov.in/wp-content/uploads/2025/11/Pension_Manual.pdf.

10. Basu, J.K. and Adair, T., 2021. Have inequalities in completeness of death registration between states in India narrowed during two decades of civil registration system strengthening?. *International journal for equity in health*, *20*(1), p.195. https://doi.org/10.1186/s12939-021-01534-y
11. Singh, A., Kundu, A., Ram, S., Chandra, R., Tanti, A., Singh, S. and Kumar, V., 2025. Spatial disparities in death registration across states and districts of India, 2019-21. *BMC Public Health*, *25*(1), p.1733. https://doi.org/10.1186/s12889-025-22707-2
12. Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) (2017). Employees" Provident Fund Organisation (EPFO). [online] Available at: https://www.capsi.in/notifications/PF%20Death%20case%20composite%20form.pdf.
13. Insurance Regulatory and Development Authority of India (2024). Master Circular on Protection of Policyholders" Interests. [Regulatory circular] Hyderabad, India: Insurance Regulatory and Development Authority of India. Available at: https://www.caalley.com/irdai_mc/MC_Protection_of_Policyholders_interests_2024.pdf
14. Indian Kanoon (2026). Section 16 in The Employees" Pension Scheme, 1995. [online] Indiankanoon.org. Available at: https://indiankanoon.org/doc/114803805/
15. Anggara, R., Lorita, E. and Rikardo, Y., 2025. Employee Performance Analysis of the Population and Civil Registration Office in Bengkulu City in the" 3 in 1 Duka Cita" Service. Social Sciences Journal, 2(2), pp.219-228. https://doi.org/10.37676/sosj